

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8
संख्या-27/2017/28/पांच-8-2017-जी(315)/2016
लखनऊ: दिनांक 23 जनवरी, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-29/4281/पांच-8-2014-म(345)/2012टीसी0-1, दिनांक 30-12-2014 द्वारा डा0 कपिल कुमार गौतम, चिकित्साधिकारी की नियुक्ति मुख्य चिकित्साधिकारी, कन्नौज के अधीन की गई थी। डा0 कपिल कुमार गौतम द्वारा दिनांक 30-01-2015 द्वारा कार्यभार ग्रहण कर योगदान किया गया। डा0 अनिल कुमार द्वारा अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करने के उपरान्त दिनांक 01-02-2015 से सेवा में अनधिकृत अनुपस्थित हो गये। डा0 कपिल कुमार गौतम ने अपने पारिवारिक परिस्थितियों को दर्शाते हुए दिनांक 16-05-2016 द्वारा पुनः सेवा में योगदान कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी, कन्नौज के पत्र संख्या- मु0चि0अ0/चि0अ0/2016/1951, दिनांक 21-09-2016 द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या एवं की गई संस्तुति के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त डा0 कपिल कुमार गौतम चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर नगर के अधीन कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इनकी अनधिकृत अनुपस्थित अवधि के संबंध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

3- डा0 कपिल कुमार गौतम चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 20-02-2017 तक कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अन्यथा निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर उनका अभ्यर्थन निरस्त/समाप्त समझा जायेगा।

डा0 नीरज शुक्ला,
विशेष सचिव।

संख्या-27/2017/28(1)/पांच-8-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, 30प्र0, लखनऊ।
- 3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, 30प्र0, लखनऊ।
- 4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कानपुर मण्डल कानपुर।
- 5- मुख्य चिकित्साधिकारी, कन्नौज/कानपुर नगर।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कन्नौज/कानपुर नगर।
- 7- संबंधित चिकित्साधिकारी।
- 8- प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-28/2017/452/पांच-8-2017-जी(315)/2016

लखनऊ: दिनांक 23 जनवरी, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-999/चि-3-10-03(नियुक्ति)/2010, दिनांक 15-04-2010 द्वारा डा0 राहुल कुमार तिवारी, चिकित्साधिकारी की नियुक्ति मुख्य चिकित्साधिकारी, मिर्जापुर के अधीन की गई थी, उनके द्वारा दिनांक 04-05-2010 द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। डा0 तिवारी द्वारा पी0जी0 कोर्स किये जाने हेतु अनुरोध किया गया। डा0 तिवारी को शासन के कार्यालय आदेश दिनांक 03-03-2014 के क्रम में पी0जी0 कोर्स (एम0डी0 बायोफिजिक्स) में अध्ययनरत हो गये। डा0 राहुल कुमार तिवारी द्वारा (एम0डी0 बायोफिजिक्स) पी0जी0 कोर्स पूर्ण करने के उपरान्त पुनः सेवा में योगदान कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में निदेशक(कार्मिक), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-2फ/727/2012/1235, दिनांक 10-11-2016 द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या एवं की गई संस्तुति के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त डा0 राहुल कुमार तिवारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, मिर्जापुर के अधीन कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति एतद्वारा प्रदान की जाती है। डा0 राहुल कुमार तिवारी के पी0जी0 कोर्स करने की अवधि के संबंध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

3- डा0 राहुल कुमार तिवारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 20-02-2017 तक कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अन्यथा निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर उनका अभ्यर्थन निरस्त/समाप्त समझा जायेगा।

डा0 नीरज शुक्ला,

विशेष सचिव।

संख्या-28/2017/452(1)/पांच-8-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विन्ध्याचल (मिर्जापुर) मण्डल मिर्जापुर।
- 5- मुख्य चिकित्साधिकारी, मिर्जापुर।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, मिर्जापुर।
- 7- संबंधित चिकित्साधिकारी।
- 8- प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा/से.

(शिवगोपाल सिंह)

अनु सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-29/2017/453/पांच-8-2017-जी(315)/2016

लखनऊ: दिनांक 23 जनवरी, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-755/पांच-8-2012-म(53)/2012, दिनांक 04-05-2012 द्वारा डा0 शिल्पा सिरोही, चिकित्साधिकारी की नियुक्ति मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर के अधीन की गई थी, उनके द्वारा दिनांक 07-08-2012 द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। डा0 सिरोही का दिनांक 26-12-2014 द्वारा पी0जी0 कोर्स (डी0जी0ओ0 स्त्रीरोग विशेषज्ञ) में चयन हो जाने के उपरान्त वे अध्ययनरत हो गयी। डा0 शिल्पा सिरोही चिकित्साधिकारी द्वारा पी0जी0 कोर्स (डी0जी0ओ0 स्त्रीरोग विशेषज्ञ) पूर्ण करने के उपरान्त पुनः सेवा में योगदान कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में निदेशक(कार्मिक), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-3फ/561-म-2012/2157, दिनांक 28-11-2016 द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या एवं की गई संस्तुति के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त डा0 शिल्पा सिरोही, चिकित्साधिकारी को जिला चिकित्सालय, बागपत में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इनकी पी0जी0 कोर्स करने की अवधि के संबंध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

3- डा0 शिल्पा सिरोही को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 20-02-2017 तक कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अन्यथा निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर उनका अभ्यर्थन निरस्त/समाप्त समझा जायेगा।

डा0 नीरज शुक्ला

विशेष सचिव।

संख्या-29/2017/453(1)/पांच-8-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मण्डल मेरठ।
- 5- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला चिकित्सालय, बागपत।
- 6- मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर।
- 7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, बुलन्दशहर/बागपत।
- 8- संबंधित चिकित्साधिकारी।
- 9- प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 10- गार्ड फाइल।।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-30/2017/454/पांच-8-2017-जी(315)/2016

लखनऊ: दिनांक 23 जनवरी, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2406/पांच-8-2012-म(270)/2012, दिनांक 25-09-2012 द्वारा डा0 फरहा खान, चिकित्साधिकारी की नियुक्ति मुख्य चिकित्साधिकारी, अलीगढ़ के अधीन की गई थी, उनके द्वारा दिनांक 08-10-2012 द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। डा0 फरहा खान का पी0जी0 कोर्स (बालरोग विशेषज्ञ) में चयन हो जाने के उपरान्त वे अध्ययनरत हो गयी। डा0 फरहा खान चिकित्साधिकारी द्वारा पी0जी0 कोर्स (बालरोग विशेषज्ञ) पूर्ण करने के उपरान्त दिनांक 19-09-2016 द्वारा पुनः सेवा में योगदान कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में निदेशक(कार्मिक), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-3फ/ए/731/2012/2295, दिनांक 25-11-2016 द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या एवं की गई संस्तुति के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त डा0 फरहा खान चिकित्साधिकारी को जिला चिकित्सालय, अलीगढ़ में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इनकी पी0जी0 कोर्स करने की अवधि के संबंध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

3- डा0 फरहा खान को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 20-02-2017 तक कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अन्यथा निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर उनका अभ्यर्थन निरस्त/समाप्त समझा जायेगा।

डा0 नीरज शुक्ला,

विशेष सचिव।

संख्या-30/2017/454(1)/पांच-8-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़।
- 5- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला चिकित्सालय, अलीगढ़।
- 6- मुख्य चिकित्साधिकारी, अलीगढ़।
- 7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, अलीगढ़।
- 8- संबंधित चिकित्साधिकारी।
- 9- प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा/से.


(शिवगोपाल सिंह)

अनु सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-31/2017/455/पांच-8-2017-जी(315)/2016

लखनऊ: दिनांक 23 जनवरी, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-999/चि-3-10-03(नियुक्ति)/2010, दिनांक 15-04-2010 द्वारा डा0 अजय कुमार मिश्रा, चिकित्साधिकारी की नियुक्ति मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रतापगढ़ के अधीन की गई थी, उनके द्वारा दिनांक 24-04-2010 द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। डा0 अजय कुमार मिश्रा का पी0जी0 कोर्स (एम0 डी0 साईक्रेटी) में चयन हो जाने के उपरान्त वे अध्ययनरत हो गयी। डा0 मिश्रा चिकित्साधिकारी द्वारा पी0जी0 कोर्स (एम0 डी0 साईक्रेटी) पूर्ण करने के उपरान्त दिनांक 05-09-2016 द्वारा पुनः सेवा में योगदान कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में निदेशक(कार्मिक), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-2फ/381/10/1267, दिनांक 29-11-2016 द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या एवं की गई संस्तुति के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त डा0 अजय कुमार मिश्रा चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रतापगढ़ के अधीन कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इनकी पी0जी0 कोर्स करने की अवधि के संबंध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

3- डा0 अजय कुमार मिश्रा को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 20-02-2017 तक कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अन्यथा निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर उनका अभ्यर्थन निरस्त/समाप्त समझा जायेगा।

डा0 नीरज शुक्ला
विशेष सचिव।

संख्या-31/2017/455 (1)/पांच-8-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, इलाहाबाद मण्डल इलाहाबाद।
- 5- मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रतापगढ़।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रतापगढ़।
- 7- संबंधित चिकित्साधिकारी।
- 8- प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-32/2017/456/पांच-8-2017-जी(315)/2016

लखनऊ: दिनांक 23 जनवरी, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4459/ चि-3-10-08(नियुक्ति)/2010, दिनांक 30-12-2010 द्वारा डा० ज्ञानेन्द्र कुमार मौर्या, चिकित्साधिकारी की नियुक्ति मुख्य चिकित्साधिकारी, सोनभद्र के अधीन की गई थी, उनके द्वारा दिनांक 25-02-2011 द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। डा० ज्ञानेन्द्र कुमार मौर्या का पी०जी० कोर्स (क्लीनिकल कार्डियोजॉजिस्ट) में चयन हो जाने के उपरान्त वे अध्ययनरत हो गयी। डा० मौर्या चिकित्साधिकारी द्वारा पी०जी० कोर्स (क्लीनिकल कार्डियोजॉजिस्ट) पूर्ण करने के उपरान्त दिनांक 11-05-2016 द्वारा पुनः सेवा में योगदान कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में निदेशक(कार्मिक), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, 30प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-2फ/113/2011/594, दिनांक 30-05-2016 द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या एवं की गई संस्तुति के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त डा० ज्ञानेन्द्र कुमार मौर्या, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रतापगढ़ के अधीन कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इनकी पी०जी० कोर्स करने की अवधि के संबंध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

3- डा० ज्ञानेन्द्र कुमार मौर्या को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 20-02-2017 तक कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अन्यथा निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर उनका अभ्यर्थन निरस्त/समाप्त समझा जायेगा।

डा० नीरज शुक्ला

विशेष सचिव।

संख्या-32/2017/456(1)/पांच-8-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, 30प्र०, लखनऊ।
- 3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, 30प्र०, लखनऊ।
- 4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विन्ध्याचल (मिर्जापुर)/इलाहाबाद मण्डल।
- 5- मुख्य चिकित्साधिकारी, सोनभद्र/प्रतापगढ़।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, सोनभद्र/प्रतापगढ़।
- 7- संबंधित चिकित्साधिकारी।
- 8- प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-33/2017/457/पांच-8-2017-जी(315)/2016

लखनऊ: दिनांक 23 जनवरी, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-41/926/पांच-8-2015(04)/2015, दिनांक 04-03-2015 द्वारा डा0 विजय कुमार तिवारी, चिकित्साधिकारी की नियुक्ति मुख्य चिकित्साधिकारी, बस्ती के अधीन की गई थी, उनके द्वारा दिनांक 11-12-2015 द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। तदोपरान्त डा0 तिवारी को शासन के कार्यालय आदेश दिनांक 13-04-2016 द्वारा टामा सेण्टर बस्ती में सर्जन के पद पर स्थानान्तरित कर दिया गया। डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइन्सेज, लखनऊ, से कार्यमुक्त होने के पश्चात योगदान स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया। डा0 विजय कुमार तिवारी सीनियर रेजिडेन्ट (एम0एस0 सर्जरी) पूर्ण करने के उपरान्त पुनः सेवा में योगदान कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी, बस्ती के पत्र संख्या-स्था0/चिअ0/2016-17/10282, दिनांक 23-11-2016 द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या एवं की गई संस्तुति के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त डा0 विजय कुमार तिवारी चिकित्साधिकारी को जिला चिकित्सालय, बस्ती में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इनकी पी0जी0 कोर्स करने की अवधि के संबंध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

3- डा0 विजय कुमार तिवारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 20-02-2017 तक कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अन्यथा निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर उनका अभ्यर्थन निरस्त/समाप्त समझा जायेगा।

डा0 नीरज शुक्ला
विशेष सचिव।

संख्या-33/2017/457(1)/पांच-8-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, 30प्र0, लखनऊ।
- 3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, 30प्र0, लखनऊ।
- 4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बस्ती मण्डल बस्ती।
- 5- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, बस्ती।
- 6- मुख्य चिकित्साधिकारी, बस्ती।
- 7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, बस्ती।
- 8- संबंधित चिकित्साधिकारी।
- 9- प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-34/2017/458/पांच-8-2017-जी(315)/2016

लखनऊ: दिनांक 23 जनवरी, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2406/पांच-8-2012-म(270)/2012, दिनांक 25-09-2012 द्वारा डा0 ऋचा त्रिपाठी, चिकित्साधिकारी की नियुक्ति मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर के अधीन की गई थी। डा0 ऋचा त्रिपाठी, चिकित्साधिकारी का दिनांक 31-08-2013 द्वारा उनका चयन पी0जी0 कोर्स (एम0डी0 पैथालॉजी) में हो जाने के उपरान्त वे अध्ययनरत हो गयी। डा0 त्रिपाठी चिकित्साधिकारी द्वारा पी0जी0 कोर्स (एम0डी0 पैथालॉजी) पूर्ण करने के उपरान्त उनके द्वारा पुनः सेवा में योगदान कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-18फ/803/2012/1188, दिनांक 22-12-2016 द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या एवं की गई संस्तुति के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त डा0 ऋचा त्रिपाठी चिकित्साधिकारी को ई0एम0ओ0 महिला जिला संयुक्त चिकित्सालय, संजय नगर, गाजियाबाद में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इनकी पी0जी0 कोर्स करने की अवधि के संबंध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

3- डा0 त्रिपाठी चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 20-02-2017 तक कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अन्यथा निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर उनका अभ्यर्थन निरस्त/समाप्त समझा जायेगा।

डा0 नीरज शुक्ला

विशेष सचिव।

संख्या-34/2017/458(1)/पांच-8-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर/मेरठ मण्डल।
- 5- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला संयुक्त जिला चिकित्सालय, संजय नगर, गाजियाबाद।
- 6- मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर।
- 7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, मेरठ/गोरखपुर।
- 8- संबंधित चिकित्साधिकारी।
- 9- प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-35/2017/459/पांच-8-2017-जी(315)/2016

लखनऊ: दिनांक 23 जनवरी, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2406/पांच-8-2012-म(270)/2012, दिनांक 25-09-2012 द्वारा डा0 शैली भट्ट, चिकित्साधिकारी की नियुक्ति मुख्य चिकित्साधिकारी, काशीराम नगर (कासगंज) के अधीन की गई थी। डा0 शैली भट्ट चिकित्साधिकारी का चयन पी0जी0 कोर्स (एम0डी0 फार्माकोलॉजी) में हो जाने के उपरान्त वे अध्ययनरत हो गयी। डा0 भट्ट चिकित्साधिकारी द्वारा पी0जी0 कोर्स (एम0डी0 फार्माकोलॉजी) पूर्ण करने के उपरान्त उनके द्वारा पुनः सेवा में योगदान कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी, कासगंज के पत्र संख्या-मु0चि0अ0/स्था0/16, दिनांक 19-12-2016 द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या एवं की गई संस्तुति के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त डा0 शैली भट्ट, चिकित्साधिकारी को सरदार बल्लभ भाई चिकित्सालय, मेरठ में चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इनकी पी0जी0 कोर्स करने की अवधि के संबंध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

3- डा0 भट्ट चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 20-02-2017 तक कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अन्यथा निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर उनका अभ्यर्थन निरस्त/समाप्त समझा जायेगा।

4- कार्यालय ज्ञाप दिनांक 25-09-2012 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

डा0 नीरज शुक्ला,

विशेष सचिव।

संख्या-35/2017/459(1)/पांच-8-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अलीगढ़/मेरठ मण्डल।
- 5- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, सरदार बल्लभ भाई चिकित्सालय, मेरठ।
- 6- मुख्य चिकित्साधिकारी, कासगंज/मेरठ।
- 7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कासगंज/मेरठ।
- 8- संबंधित चिकित्साधिकारी।
- 9- प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-36/2017/460/पांच-8-2017-जी(315)/2016

लखनऊ: दिनांक 23 जनवरी, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2883/पांच-8-2014-म(345)/2012, दिनांक 07-10-2014 द्वारा डा0 नरेन्द्र सिंह राजपूत, चिकित्साधिकारी की नियुक्ति जिला चिकित्सालय, महोबा में की गई थी। डा0 नरेन्द्र सिंह राजपूत द्वारा दिनांक 21-10-2014 द्वारा कार्यभार ग्रहण कर योगदान किया गया। तदोपरान्त डा0 राजपूत द्वारा दिनांक 22-10-2014 से 25-10-2014 तक आकस्मिक अवकाश का प्रार्थना पत्र देकर चले गये तथा दिनांक 24-10-2014 को बीमार रहने की सूचना देकर अनुपस्थित हो गये। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, महोबा के पत्र दिनांक 30-07-2016 द्वारा उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में डा0 नरेन्द्र सिंह राजपूत चिकित्साधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 07-11-2016 द्वारा पुनः सेवा में योगदान कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में अपर निदेशक(कार्मिक), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-2फ/286/14/1271, दिनांक 20-12-2016 द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या एवं की गई संस्तुति के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त डा0 नरेन्द्र सिंह राजपूत, (ई0एन0टी0) चिकित्साधिकारी को जिला चिकित्सालय, महोबा में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इनकी अनधिकृत अनुपस्थित अवधि के संबंध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

3- डा0 नरेन्द्र सिंह राजपूत, चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 20-02-2017 तक कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अन्यथा निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर उनका अभ्यर्थन निरस्त/समाप्त समझा जायेगा।

डा0 नीरज शुक्ला

विशेष सचिव।

संख्या-36/2017/460 (1)/पांच-8-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चित्रकूट धाम मण्डल बाँदा।
- 5- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, महोबा।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, महोबा।
- 7- संबंधित चिकित्साधिकारी।
- 8- प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-37/2017/461/पांच-8-2017-जी(315)/2016

लखनऊ: दिनांक 23 जनवरी, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4449/चि-3-10-08(नियुक्ति)/2010, दिनांक 30-12-2010 द्वारा डा० बृजेश कुमार सिंह चिकित्साधिकारी की नियुक्ति मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद के अधीन की गई थी, उनके द्वारा दिनांक 24-01-2011 द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। मुख्य चिकित्साधिकारी, के पत्र दिनांक 25-05-2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि डा० बृजेश कुमार सिंह दिनांक 15-05-2012 से अब तक अनधिकृत अनुपस्थित चल रहे हैं। डा० बृजेश सिंह द्वारा पी०जी० कोर्स (एम०एस० जनरल सर्जरी) में चयन होने के उपरान्त वे पी०जी० कोर्स में अध्ययनरत हो गये। डा० सिंह द्वारा पी०जी० कोर्स (एम०एस० जनरल सर्जरी) पूर्ण करने के उपरान्त पुनः सेवा में योगदान कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में अपर निदेशक(कार्मिक), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-3फ/183/2011/2320, दिनांक 22-12-2016 द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या एवं की गई संस्तुति के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त डा० बृजेश कुमार सिंह को 100 शैयया संयुक्त चिकित्सालय, ठाकुरगंज, लखनऊ में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इनकी अनधिकृत अनुपस्थित अवधि/पी०जी० अवधि के संबंध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

3- डा० बृजेश कुमार सिंह को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 20-02-2017 तक कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अन्यथा निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर उनका अभ्यर्थन निरस्त/समाप्त समझा जायेगा।

डा० नीरज शुक्ला

विशेष सचिव।

संख्या-37/2017/461 (1)/पांच-8-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ/लखनऊ मण्डल।
- 5- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, 100 शैयया संयुक्त चिकित्सालय, ठाकुरगंज, लखनऊ।
- 6- मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद/लखनऊ।
- 7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, गाजियाबाद/लखनऊ।
- 8- संबंधित चिकित्साधिकारी।
- 9- प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)

अनु सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-38/2017/462/पांच-8-2017-जी(315)/2016

लखनऊ: दिनांक 23 जनवरी, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2478/पांच-8-2014-म(345)/2012, दिनांक 18-09-2014 द्वारा डा0 अनिल कुमार, चिकित्साधिकारी की नियुक्ति मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर में की गई थी। डा0 अनिल कुमार द्वारा दिनांक 04-10-2014 द्वारा कार्यभार ग्रहण कर योगदान किया गया। डा0 अनिल कुमार द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा में अनधिकृत अनुपस्थित हो गये। डा0 अनिल कुमार ने अपने पारिवारिक परिस्थितियों को दर्शाते हुए पुनः सेवा में योगदान कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, सामु0 स्वा0 केन्द्र, डिबाई, बुलन्दशहर के दिनांक रहित पत्र द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या एवं की गई संस्तुति के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त डा0 अनिल कुमार चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, पीलीभीत के अधीन कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इनकी अनधिकृत अनुपस्थित अवधि के संबंध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

3- डा0 अनिल कुमार चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 20-02-2017 तक कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अन्यथा निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर उनका अभ्यर्थन निरस्त/समाप्त समझा जायेगा।

डा0 नीरज शुक्ला,

विशेष सचिव।

संख्या-38/2017/462(1)/पांच-8-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, 30प्र0, लखनऊ।
- 3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, 30प्र0, लखनऊ।
- 4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ/बरेली मण्डल।
- 5- मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर/पीलीभीत।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, बुलन्दशहर/पीलीभीत।
- 7- संबंधित चिकित्साधिकारी।
- 8- प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।